फा. सं. ई-19014-1/2019- रा.भा.

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

<u>विषय : डाक विभाग की दिनाँक 30-09-2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के नियमानुसार माह सितंबर, 2020 में डाक विभाग, संचार मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (जून, 2020 और सितंबर, 2020) की संयुक्त बैठक दिनांक 30 सितंबर, 2020 को कार्यालय के बैठक कक्ष, तृतीय तल में उप महानिदेशक (पीजी/राजभाषा) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में उप निदेशक (राजभाषा) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) सहित कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई निर्णय भी लिए गए जिन्हें संलग्न बैठक के कार्यवृत्त के रूप में डाक विभाग के सभी अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया जा सकता है।

उपर्युक्त दृष्टिगत डाक विभाग के सभी अनुभागों को निदेश दिए जाते हैं कि वे संलग्न कार्यवृत्त का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को इस कार्यवृत्त के प्राप्त होने की तारीख से 03 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से अवगत करा दें।

13/10/2020

(सुनीता सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

<u>प्रतिलिपि :</u>

1. डाक विभाग के सभी एडीजी
2. डाक विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय
3. गार्ड फाइल।
4. प्रशासन अनुभाग - ई-आफिस व नोटिस बोर्ड पर अपलोड करें।

डाक विभाग, संचार मंत्रालय की दिनांक- 30 सितंबर, 2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के नियमानुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय द्वारा हर तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करना आवश्यक है। इसके तहत डाक विभाग, संचार मंत्रालय की माह सितंबर, 2020 में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक- 30 सितंबर, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे श्रीमती प्रतिभा नाथ, उप महानिदेशक (पीजी) महोदया की अध्यक्षता में कार्यालय के समिति कक्ष 347 डी में आयोजित की गई। इस बैठक में उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) सहित कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

2. बैठक की कार्रवाई को आरंभ करते हुए उप निदेशक (राजभाषा) महोदया ने बैठक में उपस्थित उप महानिदेशक (पीजी) महोदया सहित समिति के सदस्यों का स्वागत किया और दिनांक- 16 मार्च, 2020 को आयोजित पिछली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर समिति के किसी भी सदस्य से कोई भी सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई । इसके बाद उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अध्यक्ष महोदय को राजभाषा अनुभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई से मद-वार अवगत कराया गया।

3. उप निदेशक (राजभाषा) महोदया ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि माह जून, 2020 में डाक विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जानी थी किंतु कोरोना (कोविड-19 विषाणु) की महामारी के फैलते प्रकोप और सरकारी दफ्तरों में कोविड-19 के मामलों में तेज़ी से वृद्धि आने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार (कार्यालय में 5 से अधिक कार्मिकों के एकत्रित होने पर पाबंदी को ध्यान में रखते हुये) यह बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक (जून, 2020 और सितंबर, 2020 तिमाहियों को शामिल करते हुए) संयुक्त बैठक के रूप में आयोजित की गई।

4. बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उप निदेशक (राजभाषा) ने बैठक में अधिकारियों की कम उपस्थिति (बैठक में कुल 50 से अधिक अनुभागों के अधिकारियों में से मात्र 07 अधिकारी उपस्थित थे) को देखते हुए अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि यह राजभाषा अनुभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सभी अनुभागों के अधिकारियों (विशेषकर सहायक महानिदेशक, सहायक निदेशक, अनुभाग अधिकारी आदि) का भाग लेना आवश्यक है। इस बैठक में राजभाषा हिन्दी से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जाती है, विभिन्न अनुभागों की संबंधित समस्याओं को सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है। उप निदेशक (राजभाषा) ने आगे कहा कि इस बैठक में अधिकारियों की कम अनुपस्थिति राजभाषा विभाग के नियमों का गंभीर उल्लंघन है तथा ऐसी परिस्थितियों में राजभाषा विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।

अध्यक्ष महोदया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा, जिनमे सहायक महानिदेशक भी शामिल हैं, राजभाषा अनुभाग की बैठकों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होने

उप निदेशक (राजभाषा) को उनके हस्ताक्षर से ज्ञापन जारी करने के निदेश दिये जिसमें अनुपस्थित एडीजी अधिकारियों से इस बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण पूछे जाएं भविष्य में इनके द्वारा राजभाषा हिन्दी की बैठकों में भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के सभी अनुभाग)

5. उप निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदया को आगे बताया कि डाक विभाग के किस अनुभाग में कितना हिन्दी में कार्य हो रहा है, कितना राजभाषा विभाग के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है, उनके हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत क्या है आदि की जानकारी हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट से प्राप्त होती है। यह रिपोर्ट डाक विभाग के सभी अनुभागों को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 05 दिनों के अंदर राजभाषा अनुभाग को भेजनी होती है किंतु कई अनुस्मारक जारी करने, फोन पर बार-बार अनुरोध करने जैसे प्रयासों के पश्चात भी डाक विभाग के अधिकांश अनुभाग अपनी रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग को नहीं भेजते हैं। डाक विभाग के अधिकांश अनुभागों से 30 जून, 2020 और 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाहियों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होने के पश्चात अध्यक्ष महोदया ने डाक विभाग के अधिकारियों के हिन्दी के प्रति इस प्रकार के नकारात्मक रुख पर आश्चर्य प्रकट किया और इसे राजभाषा विभाग के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना। उन्होनें उप निदेशक (राजभाषा) को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निदेश दिये।

(कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के सभी अनुभाग)

6. उप निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदया को यह भी अवगत कराया कि डाक विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजे जाने के कारण राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने में भी अनावश्यक विलंब होता है। इसके पश्चात भी कई अनुभागों का स्पष्ट कहना है कि हमारा सारा कार्य ई-ऑफिस पर अंग्रेज़ी में होता है इसलिए हमारे यहां ऐसा कोई संबंधित रिकार्ड नहीं रखा जाता है। हम हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। उप निदेशक (राजभाषा) ने उल्लेख किया कि जिस अनुभाग में फ़ाइल से जुड़ा कार्य होता है, हर प्रकार का पत्राचार होता है, हिन्दी में पत्र प्राप्त होते हैं, चाहे ई-ऑफिस पर कार्य होता हो, हिन्दी पत्रों से संबंधित सभी प्रकार के रजिस्टरों का रखरखाव रखना अनिवार्य है। चूंकि हमारा कार्यालय राजभाषा विभाग के नियमानुसार 'क' क्षेत्र में स्थित है जिसका समस्त पत्राचार हिन्दी में होना अपेक्षित है साथ ही हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिये जाने चाहिए ।

उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होने पर अध्यक्ष महोदया ने उप निदेशक (राजभाषा) को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निदेश दिये।

(कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के सभी अनुभाग)

7. उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को पुनः अवगत कराया गया कि डाक विभाग के सभी अनुभागों के लिए राजभाषा विभाग के अन्य नियमों के साथ-साथ राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समिति के सदस्यों को यह भी दोबारा बताया गया कि अपने-अपने अनुभागों में एक ऐसे पदाधिकारी को नामित करें जो हिन्दी से जुड़े सभी कार्य देखेगा और इसकी जानकारी राजभाषा अनुभाग को दी जाएगी । खेद का विषय है कि अभी तक डाक विभाग के किसी भी अनुभाग से इस प्रकार की कोई जानकारी राजभाषा अनुभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

उप निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि भविष्य के लिए प्रत्येक अनुभाग को न्यूनतम ऐसे दस विषयों का चयन करना होगा जिसके तहत संबंधित फ़ाइलों सहित समस्त कार्य हिन्दी में करना अनिवार्य होगा और इन विषयों की जानकारी राजभाषा अनुभाग को देनी होगी किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं होगा कि अपने अनुभाग के शेष कार्य अँग्रेजी में किए जाए। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों, संस्वीकृति आदेशों आदि को हिन्दी में अनुवाद करवाकर रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग में लाया जाए।

अध्यक्ष महोदया ने उप निदेशक (राजभाषा) को इस मामले में पुनः कार्यालय ज्ञापन जारी करने और बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावानुसार राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार किए गए अद्यतन हिन्दी प्रपत्रों को ई-ऑफिस पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के सभी अनुभाग)

8. बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उप निदेशक (राजभाषा) ने व्यक्त किया कि डाक विभाग में हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता में कमी के प्रमुख कारणों में से एक हिन्दी टंकण का प्रयोग नहीं किया जाना भी है जो कि एक चिंता का विषय है। जिस अनुभाग में हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपना समस्त कार्य हिन्दी में ही करें। इसके अलावा जी ए अनुभाग को डाक विभाग के सभी अनुभागों के कम्प्यूटरों में माइक्रोसॉफ़्ट इंडिक टूल-बार, सुविधा सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए एक से अधिक निदेश जारी किये जा चुके हैं ताकि सभी कार्मिक अपना कार्य हिन्दी में टाइप कर सकें किंतु खेद का विषय है कि जी ए अनुभाग इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहा है।

अध्यक्ष महोदया ने इस संबंध में उप निदेशक (राजभाषा) को अपेक्षित कार्यालय ज्ञापन जारी करने के निदेश दिये।

[कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के समस्त अनुभाग]

9. बैठक की कार्रवाई के अगले बिंदु के रूप में उप निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदया को डाक विभाग में हिन्दी में मूल रूप से टिप्पणी व प्रारूप लेखन से जुड़ी नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के संबंध में अवगत कराया और हिन्दी में मूल रूप से टिप्पणी व प्रारूप लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2020-2021 (अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) की जानकारी दी। उप निदेशक (राजभाषा) ने आगे बताया कि यह एक नकद पुरस्कार योजना है और जिसके कुल 10 पुरस्कार हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 5000/- रुपये के 02 पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार 3000/- रुपये के 03 पुरस्कार और तीसरे पुरस्कार 2000/- रुपये के 05 पुरस्कार हैं। इसी प्रकार डाक विभाग में अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने से संबंधित नकद प्रोत्साहन योजना भी लागू है। यह नकद पुरस्कार योजना हिन्दी भाषी और हिंदीतर अधिकारियों के लिए अलग-अलग से वित्तीय वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के लिए लागू है। इसमे पाँच-पाँच हज़ार के दो पुरस्कार रखे गए हैं। डाक विभाग द्वारा पुरस्कार हेतु आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य के लिए न्यूनतम सीमा ('क' तथा 'ख' क्षेत्र के अधिकारियों के लिए 3000 शब्द और 'ग' क्षेत्र के अधिकारियों के लिए 2000 शब्द) रखी गई है।

अध्यक्ष महोदया ने समिति के सदस्यों को स्पष्ट किया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय जब राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न नकद पुरस्कार योजनाओं को लागू कर रहा है तो हम सबका इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेना कर्तव्य बनता है।

10. उप निदेशक (राजभाषा) ने तत्पश्चात बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को कोविड-2019 की महामारी के बीच डाक विभाग में 12 सितंबर, 2020 से 26 सितंबर, 2020 तक के दौरान आयोजित हिन्दी पखवाड़े का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस हिन्दी पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक- 25 सितंबर, 2020 को आयोजित किया गया। इस दौरान कोविड-2019 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए हर संभव कदम उठाए गए। इस समारोह में हिन्दी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सुमीत जैरथ, सचिव (राजभाषा) को आमंत्रित किया गया। इनके साथ-साथ डाक विभाग के सचिव (डाक), महानिदेशक (डाक सेवा), अपर महानिदेशक (समन्वय), उप महानिदेशक (पीजी) आदि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित राजभाषा अनुभाग की ओर से निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) सहित राजभाषा अनुभाग के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक (राजभाषा) ने की और धन्यवाद ज्ञापन उप निदेशक (राजभाषा) ने दिया। इस बीच सभी उच्च अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी प्रतिभागियों को अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिव (राजभाषा) ने राजभाषा हिन्दी को और उच्चाईयों तक पहुँचाने के लिए प्रसार एवं प्रचार, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रबंधन, प्रयास पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त डॉ. सुमीत जैरथ, सचिव (राजभाषा) का, सचिव (डाक) महोदय को संबोधित अर्ध शासकीय पत्र डाक विभाग के सभी अनुभागों एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किया गया जो सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हैं। इसमें केन्द्रीय हिन्दी समिति की 31वीं बैठक में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

11. उप निदेशक (राजभाषा) ने तत्पश्चात बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में शामिल प्रमुख अनुदेशों, नियमों आदि का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदया ने भी उप निदेशक (राजभाषा) के आग्रह का समर्थन करते हुये डाक विभाग के सभी अनुभागों को वार्षिक कार्यक्रम में शामिल आवश्यक मदों और लक्ष्यों का पूर्ण अनुपालन करने के निदेश दिये।

[कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग सहित डाक विभाग के समस्त अनुभाग]

अंत में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

प्रतिभा

(प्रतिभा नाथ)

उप महानिदेशक (पीजी)